

23/4
24

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची संख्या 1
ने नोटिस की प्रति लेने से इन्कार किया।
अप्राची सं. 1 को नक-2 कर 3 बार आवाज
लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आए। अप्राची
सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के
आदेश दिए जाते हैं। जवाब स्टेट बन्द किया
जाता है। बहस एकपक्षीय खुली गई पत्रावली
का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रकरण में
जारी अस्थायी निवेदना दिनांक 11/10/2023
को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किया
जाता है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर
के क्रम होकर मूलवाद के साथ संलग्न है



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर